

प्रार्थना क्र. 51/019

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

सुरसिंह बनाम जीतसिंह

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ

पत्र तलीपेरा दुई प्रार्थी व अधिवक्ता प्रार्थी उप०। प्रार्थी द्वारा सभ्य मूल प्रार्थना पत्र 212 RT अक्ट. विद्वान् करने का प्रार्थना पत्र दिनांकमा मूल वाद विद्वान् किमा जाने पर खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी लीका किया जाता है व प्रार्थना पत्र 212 RT अक्ट खारिज किया जाता है। पत्र तली निर्णय मुमा होकर नम्बर 6 मय होकर दाखिल दफतर हो

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

सुरसिंह

Id.

18.6.019